

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] No. 187] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2019/फाल्गुन 20, 1940

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/PHALGUNA 20, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2019

सा.का.नि. 214(अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (23 के 1940) की धारा 12 की उप-धारा (1) और धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अविध समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इन प्रारूप नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएगी:

केंद्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो अवर सचिव (ओषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 414ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को अग्रेषित किया जाए अथवा drugsdiv-mohfw@gov.in पर ई-मेल किया जाए।

1666 GI/2019 (1)

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों को ओषधि और प्रसाधन सामग्री (.....संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।
- ओषिध और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में, नियम 43क में, "मुंद्रा बंदरगाह" शब्दों के पश्चात् "और मध्य प्रदेश में धन्नड़, इंदौर अंतर्देशीय आधान डिपो" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एक्स.11014/5/2019 –डीआर] डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना संख्या एफ.28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), तारीखद्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2019

G.S.R. 214(E).— The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 12 and sub-section(1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 414 A, D Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (....... Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 43A, after the words "Mundra Port in Gujarat", the words "and Inland Container Depot Dhannad, Indore in Madhya Pradesh" shall be inserted.

[F.No. X.11014/5/2019-DR] DR. MANDEEP K. BHANADRI, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification No.F.28-10/45-H (1), dated 21st the December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R...........(E), dated